सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी: – **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

अपील संख्या: 2014/02 दायर दिनांक 07.08.2014

अपीलार्थी		रेस्पोडेन्ट
1. चुन्नीदेवी पुत्री रतनाराम पत्नी रूपाराम जाति जाट निवासी खुनखुना हाल निवासी गावंडियों की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 2. राजेश पुत्र मानाराम 3. हजारीराम पुत्र मानाराम 4. बालीदेवी पुत्री मानाराम 5. गीतादेवी पुत्री मानाराम 6. सीतादेवी पुत्री मानाराम समस्त जाति जाट निवासी गावडियों की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	बनाम्	1. डालुराम पुत्र रतनाराम 2. पुरखाराम पुत्र रतनाराम 3. सुरजाराम पुत्र रतनाराम 4. गोविन्दराम पुत्र रतनाराम समस्त जाति जाट निवासी खुनखुना तहसील डीडवाना 5. तहसीलदार डीडवाना 6. सरपं. ग्राम पंचायत खुनखुना 7. ग्राम पंचायत खुनखुना

अपील, अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट
विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 417 दिनांक 30.02.1999 खसरा सं0 58, 58/472, 152, 155, 58/473, 58/474 सरहद खुनखुना एवं नामान्तरकरण सं0 241 दिनांक 01.02.1999 खसरा सं0 179, 195, 179/311, 209/343 सरहद गोदरास का सरपंच ग्राम पंचायत खुनखुना द्वारा स्वीकृत किये जाने के विरूद्ध

उपस्थित :–

1. पक्षकरान

–: निर्णय :–

दिनांक 20.06.2017

अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, स्व0 रतनाराम के विधिक एवं हिन्दु रिती रिवाज अनुसार विधिक विवाहित पत्नी अणची देवी थी। स्व0 रतनाराम व स्व0 अणची देवी के सहवास से एक पुत्र डालूराम व दो पुत्रियां अपीलार्थीगण चुन्नीदेवी व बिडदी देवी उत्पन्न हुई मगर बिडदी देवी आज से करीबन 6 वर्ष पूर्व फौत हो चुकी है। जिसके जायज वारिसान अपीलार्थीगण सं0 02 ता 06 है। स्व0 झमकु देवी स्व0 रतनाराग की हिन्दु विवाह अधिनियम एवं सामाजिक तौर पर स्व0 रतनाराम की विवाहिता पत्नी नहीं थी तथा न ही स्व0 रतनाराम ने स्व0 झमकु देवी से शादी की थी। मगर राजस्व कर्मचारियों की भूल से नामान्तरकरण सं0 417 व नामान्तरकरण 241 में स्व0 रतनाराम के फौतगी म्यूटेशन में स्व0 रतनाराम के जायज पुत्र डालूराम का नामान्तरकरण सही भरा मगर स्व0 झमकु देवी के पुत्रों का नाम भी स्व0 रतनाराम के फौतगी म्यूटेशन में जमीन हडपने

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

की नियत से भरा गया। स्व0 रतनाराम की वैद्यानिक संतान डालूराम व अपीलार्थीगण चुन्नीदेवी व बिडदी देवी के जायज वारिसान अपीलार्थीगण सं0 02 ता 06 है मगर अपीलार्थीगण के नाम से फौतगी म्यूटेशन में इन्द्राज नहीं होने से व्यथित होकर अपीलार्थीगण अपील प्रस्तुत कर रहे है।

<u>अपील के आधारः–</u>

1. योग्य अधीनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत खुनखुना ने जैर अपील नामान्तरकरण दिनांक 30.02.1999 व 01.02.1999 को फौतगी म्यूटेशन स्वीकृत किये जाने में भारी कानूनी एवं व्याख्याती भूल की है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण दिनांक 30.02.1999 व दिनांक 01.02.1999 निरस्त किये जाने योग्य है।
2. ग्राम पंचायत खुनखुना ने विधिक वं जायज वारिसानों एवं उत्तराधिकारीगण का बिना पता किये तथा इस बिन्दु पर की स्व0 झमकु देवी स्व0 रतनाराम की विधिक एवं कानूनी तथा विवाहिता पत्नी है या नहीं इस बिन्दु पर ठोस सबुत के अभाव में भी जैर अपील नामान्तरकरण दिनांक 30.02.1999 व दिनांक 01.02.1999 को स्वीकृत कर भारी व्यख्याती भूल की है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण दिनांक 30.02.1999 व दिनांक 01.02.1999 निरस्त किये जाने योग्य है।
3. योग्य न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत खुनखुना ने विधि के महत्वपूर्ण तथ्यों की भारी अनदेखी कर कानूनी भूल की है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण दिनांक 30.02.1999 व दिनांक 01.02.1999 निरस्त किये जाने योग्य है।
4. ग्राम पंचायत खुनखुना ने प्रथम दृष्टया मामला भी प्रमाणित नहीं होते हुए भी सरपंच ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण स्वीकृत कर कानून की अनदेखी की है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण दिनांक 30.02.1999 व दिनांक 01.02.1999 निरस्त किये जाने योग्य है।
5. ग्राम पंचायत खुनखुना ने फौतगी म्यूटेशन स्वीकृत करते समय विधि के सर्वमान्य सिद्धान्त नैसर्गिक एवं प्राकृतिक के सिद्धान्तों के विपरित जाकर स्व0 झमकु देवी के वारिस एवं उसके पुत्रगण को वारिस मानकर गलत फौतगी म्यूटेशन स्वीकृत कर भारी कानूनी भूल की है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण दिनांक 30.02.1999 व दिनांक 01.02.1999 निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय दिनांक 30.02.1999 एवं 01.02.1999 को स्वीकृति फौतगी म्यूटेशन सं0 417, 241 सरपंच ग्राम पंचायत खुनखना द्वारा स्वीकृत को निरस्त (अपास्त) कर अपीलार्थीगण व डालूराम के नाम से फौतगी म्यूटेशन भरा जाने का आदेश सादर फरमावें।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट गोदरास में पेश हुई। रेस्पोडेन्ट सं0 01 व 04 उपस्थित। मजमें आम में प्रकरण की जानकारी ली गई। ग्रामपंचायत ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व न तो मौका स्थिति की जाँच की थी तथा न ही वारिसान की जांच की तथा न ही अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिया गया है। ग्रामपंचायत के आदेश में विधिक् त्रुटि है।

अतः म्यूटेशन संख्या 417, 241 दिनांक 30.02.1999 एवं 01.02.1999 द्वारा ग्रामपंचायत खुनखुना, खारिज किये जाने योग्य होने से अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

अपील, संख्या–2014/

दायर दिनांक 07.08.2014, निणर्य दिनांक 20.06.2017

चुन्नीदेवी बनाम डालूराम वगैराह

–:: आदेश ::–

अपील अपीलान्ट स्वीकार कर सरहद मौजा खुनखुना तहसील डीडवाना के आराजी से सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 417 दिनांक 30.02.1999 व नामान्तरकरण सं0 241 दिनांक 01.02.1999 में पारित ग्राम पंचायत खुनखुना का अपीलाधीन "स्वीकृत आदेश" निरस्त कर तहसीलदार डीडवाना को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तथा रेकर्ड का अवलोकन करते हुए नामान्तरकरण पुनः स्वीकृति की कार्यवाही करे।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **20.06.2017** को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट गोदरास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned by CamScanner